



THE MADHYA PRADESH STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (M.P. GOVT. UNDERTAKING)

HEAD OFFICE : "PANCHANAN" 3rd FLOOR, MALAVIYA NAGAR, BHOPAL - 462003

Phone (0755) - 2551652, 2551756, 2551807 Fax: 0755-2557305 E-Mail : mpagrohbpl@gmail.com

Website : www.mpstateagro.org (CIN NO. U01119MP1969SGC001055)

मुख्या / विपणन / Tractor prices / 2023-24 / 3071

दिनांक : 21-12-23
45.12.2023

प्रसारण क्रमांक - 01

प्रति,

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),
जिला प्रबंधक (समस्त),

विषय : ट्रैक्टर की दरों का प्रसारण ।

उपरोक्त विषयांतर्गत ट्रैक्टर की निर्माता कम्पनियों द्वारा निगम के साथ प्रतिवर्ष अनुबंध निष्पादित किया जाता है। वर्ष 2023-24 के लिए निम्न निर्माता द्वारा निगम के साथ अनुबंध निष्पादित करते हुए अपनी दरें तथा अधिकृत डीलरों की सूची प्रस्तुत की गयी है, का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	निर्माता कम्पनी का नाम एवं पता	निर्माता कम्पनी के अधिकृत डीलर / डिस्ट्रीब्यूटर जिनके द्वारा ट्रैक्टर की प्रदायगी, बिलिंग एवं भुगतान प्राप्त किया जावेगा।
01	M/S TRACTORS AND FARM EQUIPMENTS LIMITED (TAFE TRACTOR) NO. 104, SCHEME NO. 13, 1st FLOOR M.P.NAGAR, ZONE-II BHOPAL - 462011 PHONE : 0755 - 3269996, 3269997, 2571258 CORPORATE OFFICE :- 77, NUGAMBAKKAM HIGH ROAD, CHENNAI - 600034 TAMILNADU	अधिकृत डीलर की सूची संलग्न है
02	M/S KUBOTA AGRICULTURAL MACHINERY INDIA PVT. LTD. REGISTERED & CORPORATE OFFICE :- BLOCK NO. 94 TOWER -1 8th FLOOR TVH BELICIAA TOWERS MRC NAGAR CHENNAI - 600028 PHONE - 044 - 61041500	अधिकृत डीलर की सूची संलग्न है

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : प्रदायक की कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित हैं। उपरोक्त दरें कृषि अभियांत्रिकी में पंजीकृत दरों के समान हैं। यदि समय-समय पर प्रदाय कम्पनी द्वारा कृषि अभियांत्रिकी विभाग में दरों अथवा ट्रैक्टर के मॉडलों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो निर्माता कम्पनी द्वारा उसकी सूचना से आवश्यक रूप से एम.पी.एग्रो मुख्यालय को अवगत करायाजावेगा। जिला प्रबंधक का दायित्व होगा कि वे निगम की विकय दरों से उद्यानिकी विभाग एवं कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा अन्य संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में आदेश प्राप्त करें।
- शासकीय अनुदान** : परिपत्र में दर्शाई गयी सामग्रियों पर शासकीय अनुदान संबंधित विभाग की योजनाओं के दिशा-निर्देशों के अनुसार देय होगा। अनुदान संबंधी निर्णय संबंधित विभाग का है, इसमें निगम की कोई भूमिका नहीं रहेगी। एम.पी.एग्रो की जवाबदेही मात्र उन्हीं प्रकरणों में रहेगी जिसमें सामग्री एम.पी.एग्रो के माध्यम से कृषक को प्रदायगी की जावेगी एवं कृषक अंश राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त होगी। यदि कृषक द्वारा सीधे कम्पनी से सामग्री कय की जाती है एवं कृषक अंश राशि सीधे कम्पनी के खाते में भुगतान की जाती है तो एम.पी.एग्रो की कोई जवाबदेही नहीं होगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक, उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/अन्य विभाग से प्राप्त मांग एवं मांग में अनुशंसित प्रदायक/निर्माता कम्पनी तथा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को आदेश हेतु मांग अग्रोषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा।

...2



(Signature)

- (अ) प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) प्रदाय आदेश में प्रदायगी की समयसीमा का उल्लेख किया जावे। जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है एवं कृषक अंश + अनुदान राशि एम.पी.एग्रो के खाते में प्राप्त हो गयी है।

4. **सामग्री की प्रदायगी** - सामग्री की प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरान्त प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (1) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। प्रदायक द्वारा उचित कारण दिये जाने पर यह समय-सीमा बढ़ाई भी जा सकती है।
- (2) आदेशित सामग्री का प्रदाय केता विभाग को करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का पोस्ट डिलेवरी इंस्पेक्शन (पीडीआई) रिपोर्ट जिसमें टायर का मेक, मॉडल, मैन्युफैक्चरिंग वर्ष व टायर नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर, बैटरी का मेक, नंबर निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरान्त पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
- (3) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित सामग्री के प्रदाय के उपरान्त देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा।
- (4) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

5. **समय सीमा में सामग्री प्रदाय न करने पर शास्ति (पेनाल्टी)** - प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में निम्नानुसार शास्ति (पेनाल्टी) अधिरोपित की जावेगी :-

क्र.	सप्ताह	शास्ति (पेनाल्टी) की दर कुल प्रदायगी की राशि पर
1	प्रथम से द्वितीय सप्ताह तक	0.25% प्रति सप्ताह
2	तृतीय से चतुर्थ सप्ताह तक	0.50% प्रति सप्ताह
3	पांचवें से छठवें सप्ताह तक	0.75% प्रति सप्ताह
4	सातवें से आठवें सप्ताह तक	1.00 % प्रति सप्ताह
5	नवें से दसवें सप्ताह तक	1.25 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6	ग्यारहवें से बारहवें सप्ताह तक	1.50 % प्रति सप्ताह अथवा प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त किया जा सकता है।
7	प्रदायक द्वारा प्रदाय से मना किये जाने की स्थिति में	प्रदायक का प्रदाय आदेश निरस्त करते हुए 21% शास्ति (पेनाल्टी) जो की प्रदायक की धरोहर राशि अथवा निगम के अन्य जिलों से किये जाने वाले भुगतान की राशि से वसूली की जावेगी।

5. **सामग्री की गुणवत्ता**-एम.पी.एग्रो के माध्यम से विभाग/कृषकों को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा जो सामग्री प्रदाय की जावेगी वह एम.पी.एग्रो द्वारा जारी दर सूची अनुसार रहेगी। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत



का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/ निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो अनुबंध में उल्लेखित शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. **भुगतान** - प्रदायक के देयक का भुगतान आदेशानुसार सामग्री प्राप्त होने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, निगम को पूर्ण राशि (कृषक अंश + अनुदान राशि) प्राप्त होने पर "भुगतान परचात् भुगतान" की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा।
8. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से प्रदायगी हेतु हैं, किसी अन्य विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
9. **सामग्री की वारण्टी** : सामग्री की वारण्टी निर्माता कम्पनी की पालिसी अनुसार रहेगी, इस हेतु जिला प्रबंधक द्वारा निर्माता कम्पनी/डीलर से पालिसी प्राप्त की जावेगी।

उपरोक्त के अलावा अन्य ट्रेक्टर्स कम्पनियों से अनुबंध निष्पादित होने पर तदनुसार सूचित किया जावेगा।

संलग्न : दरें एवं डीलर की सूची

प्रतिलिपि :-

3072
21-12-23

प्रबंधक (विपणन)
20.12.2023

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष म.प्र.शासन की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गीतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
5. संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छठवीं मंजिल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
6. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
7. निज सहायक ना. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. विभागाध्यक्ष (समस्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
9. कम्प्यूटर कक्ष, मुख्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र निगम की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
10. (i) M/S TRACTORS AND FARM EQUIPMENTS LIMITED (TAFE TRACTOR) NO. 104, SCHEME NO. 13, 1st FLOOR M.P.NAGAR, ZONE-II BHOPAL - 462011
PHONE : 0755 - 3269996, 3269997, 2571258
(ii) **CORPORATE OFFICE :-** 77, NUGAMBAKKAM HIGH ROAD, CHENNAI - 600034
TAMILNADU
11. M/S KUBOTA AGRICULTURAL MACHINERY INDIA PVT. LTD. REGISTERED & CORPORATE OFFICE :- BLOCK NO. 94 TOWER -1 8th FLOOR TVH BELICIAA TOWERS MRC NAGAR CHENNAI - 600028 PHONE - 044 - 61041500



प्रबंधक (विपणन)
20.12.2023